प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 31.10.2025

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.07.2025 को दिल्ली से प्राप्त जीरो एफआईआर बनाम अभियुक्त मकसूद आलम अन्सारी पुत्र अब्दुल जब्बार के विरुद्ध थाना लोनी पर धारा 75/79 बीएनएस व 8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात विवेचना के क्रम में पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65(2) बीएनएस व 5 एम/6 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया

तत्पश्चात दिनांक 30.10.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त मकसूद आलम अन्सारी पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी ग्लोबल सिटी सबलू गढी मूल निवासी डी-182 हैप्पी डेज विद्यालय के पास आजादनगर थाना प्रतापनगर जिला भीलवाडा राजस्थान उम्र करीब 42 वर्ष को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने बताया कि पीडिता मेरे पास ट्यूशन पडने मेरे घर पर आती थी। ट्यूशन के समय मैं मौका पाकर पीडिता के साथ गलत काम कर देता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मकसूद आलम अन्सारी पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी ग्लोबल सिटी सबलू गढी मूल निवासी डी-182 हैप्पी डेज विद्यालय के पास आजादनगर थाना प्रतापनगर जिला भीलवाडा राजस्थान उम्र करीब 42 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

साईबर सेल थाना विजयनगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 80000/- की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 31.10.2025 को साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका श्रीमति भावना नि0 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद मो०नं० 8448809930 के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 80000/- रू० वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साईबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सैल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 06.10.2025 को श्रीमति भावना नि0 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद मो०नं० 8448809930 के साथ 80000/- रू० की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 31.10.2025 को आवेदिका के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया आवेदिका द्वारा थाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना विजयनगर साइबर सेल

साइबर सेल,थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 03 लाख/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 14.06.2025 को साइबर सेल थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम को शिकायतकर्ता अरूण कुमार सैनी निवासी डिफेन्स कॉलोनी थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ हुए ऑनलाइन यू0पी0आई0 पेमैन्ट के माध्यम से 03 लाख रूपये की ऑनलाइन वित्तीय ठगी के सम्बन्ध में NCRP पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई। उक्त सम्बन्ध में साइबर सेल थाना टीला मोड़ द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता से ऑनलाइन पेमैन्ट के जरिए ठगी गई कुल धनराशि 03 लाख/- रूपये को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण:-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से अरूण कुमार सैनी निवासी डिफेन्स कॉलोनी थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ दिल्ली मैट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर कुल 03 लाख रूपये की ऑनलाइन वित्तीय ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वादी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को बैंक को पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 31.10.2025 को वादी को कुल धनराशि 03 लाख रुपये वापस करायी गयी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा हत्या करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही।

श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना मोदीनगर पर समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त 12 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा ।

गिरोह सरगना रामानन्द मिश्रा, सरताज, मोफीद,निशा किन्नर व 10-15 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध वादी द्वारा उनके पुत्र अलबक्स की हत्या करने के सम्बन्ध में अभियोंग अन्तर्गत धारा 191(2)/191(3)/190/109/103(1)BNS भादवि पंजीकृत कराया गया था जिसमें दौराने विवेचनात्मक कार्यावही अभि0गण मुस्कान किन्नर, जुबैर, मौ0 गुलजार उर्फ छोटू, सद्दाम उर्फ सूफियान, आसिफ, महबूब, फारूख व रानी किन्नर उपरोक्त के नाम प्रकाश में आये तथा अभि0गण निशा किन्नर, फारूख, मुस्कान किन्नर, जुबैर, मौ0 गुलजार उर्फ छोटू,उपरोक्त को क्रमशः दिनाँक 02.03.25, 27.03.25 व 24.08.25 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा शेष अभि0गण रामानन्द मिश्रा, सरताज, मोफीद,आसिफ, महबूब, सद्दाम उर्फ सूफियान व रानी किन्नर के द्वारा माननीय न्यायलय के समक्ष आत्म समर्पण किया गया, दिनाँक 29/05/25 को अभि0गण रामानन्द मिश्रा, मुस्कान किन्नर, जुबैर, मौ0 गुलजार उर्फ छोटू, सद्दाम उर्फ सूफियान, निशा किन्नर, जुबैर, मौ0 गुलजार उर्फ छोटू उपरोक्त के विरुद्ध व दिनांक 18/09/25 को अभि0गण आसिफ, महबूब, फारूख व रानी किन्नर उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

इनके द्वारा सक्रिय गैग बना कर अपने आर्थिक व भौतिक लाभ, अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता के अध्याय -06 में वर्णित अपराध हत्या जैसा संगीन/जंघन्य अपराध करके समाज विरोधी क्रिया कलाप में लिप्त रहकर समाज में भय व आतंक मचा रखा है

हत्या की घटना कारित कर अनुचित तरीके से धनोपार्जन करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर मु0अ0सं0 641/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कराया गया।

नाम व पता अभियुक्तगण-

गैग लीडर 1.रामानन्द मिश्रा उम्र 43 वर्ष पुत्र सियाराम निवासी दातंल जाटौली थाना कंकरखेडा जिला मेरठ

2. सरताज उम्र 38 वर्ष पुत्र नानू निवासी रावली रोड थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद

3. मोफीद अली उम्र 30 वर्ष पुत्र मेहफूज अली निवासी ग्राम नाहल थाना मंसूरी जिला गाजियाबाद

4. निशा किन्नर उम्र 40 वर्ष C/0 निक्की गुरू निवासी गली न0 5 विश्वकर्मा बस्ती सीकरी फाटक के पास थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद

5. मुस्कान किन्नर उम्र 24 वर्ष C/0 रानी गुरू निवासी गली न0 5 विश्वकर्मा बस्ती सीकरी फाटक के पास थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद स्थाई पता सैक्टर 2 मूलचन्द शर्मा के पास बल्लभगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा)

6. जुबैर उम्र 23 वर्ष पुत्र स्व0 इमामुद्दीन निवासी फरीदनगर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद

7. मौहम्मद गुलजार उर्फ छोटू उम्र 20 वर्ष पुत्र स्व0 इमामुद्दीन निवासी फरीदनगर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद

8. आसिफ उम्र 32 वर्ष पुत्र मोमीन निवासी शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जिला हापुड

9. सद्दाम उर्फ सूफियान उम्र 30 वर्ष पुत्र अब्बास निवासी मौहम्मदपुर माफी थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर

10. महबूब उम्र 35 वर्ष पुत्र मौहम्मद भानू निवासी असालतपुर फरूखनगर थाना टीला मोड जिला गाजियाबाद

11. फारूख उम्र 25 वर्ष पुत्र अब्बास नट निवासी ग्राम मौहम्मदपुर लोहडा थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर

12. रानी किन्नर उम्र 35 वर्ष पुत्री भूरा निवासी बल्लभगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा) स्थाई पता - असालतपुर फरूखनगर थाना टीला मोड़ जिला गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	अपराधी का नाम व पता	उम्र	पंजीकृत अभियोगों की सं0
1	रामानन्द मिश्रा पुत्र सियाराम निवासी दातंल जाटौली थाना कंकरखेडा जिला मेरठ	43	01
2	सरताज पुत्र नानू निवासी रावली रोड थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद	38	01
3	मोफीद अली पुत्र मेहफूज अली निवासी ग्राम नाहल थाना मंसूरी जिला गाजियाबाद	30	01
4	निशा किन्नर C/0 निक्की गुरू निवासी गली न0 5 विश्वकर्मा बस्ती सीकरी फाटक के पास थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद	40	01
5	मुस्कान किन्नर C/0 रानी गुरू निवासी गली न0 5 विश्वकर्मा बस्ती सीकरी फाटक के पास थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद स्थाई पता सैक्टर 2 मूलचन्द शर्मा के पास बल्लभगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा)	24	01
6	जुबैर पुत्र स्व0 इमामुद्दीन निवासी फरीदनगर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद 7. मौहम्मद गुलजार उर्फ छोटू उम्र 20 वर्ष पुत्र स्व0 इमामुद्दीन निवासी फरीदनगर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद	23	01
7	मौहम्मद गुलजार उर्फ छोटू पुत्र स्व0 इमामुद्दीन निवासी फरीदनगर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद	20	01
8	आसिफ पुत्र मोमीन निवासी शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जिला हापुड	32	01
9	सद्दाम उर्फ सूफियान पुत्र अब्बास निवासी मौहम्मदपुर माफी थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर	30	01

10	महबूब पुत्र मौहम्मद भानू निवासी असालतपुर फरूखनगर थाना टीला मोड जिला गाजियाबाद	35	01
11	फारूख पुत्र अब्बास नट निवासी ग्राम मौहम्मदपुर लोहडा थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर	25	01
12	रानी किन्नर पुत्री भूरा निवासी बल्लभगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा) स्थाई पता - असालतपुर फरूखनगर थाना टीला मोड जिला गाजियाबाद	35	01

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से नोट बंदी के दौरान प्रचलन से बाहर पुरानी करैन्सी(1000 व 500 के नोट) 03 करोड़ 85 लाख रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 30/31.10.2025 की रात्रि को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 04 अभियुक्त 1. शुभम चौधरी पुत्र श्री जयबीर सिंह निवासी ग्राम एदलपुर थाना छजलैट जिला मुरादाबाद उम्र करीब 26 वर्ष, 2. अरुण पुत्र वीरसिंह कश्यप निवासी बसेडा थाना चांदपुर बिजनौर उम्र करीब 39 वर्ष, 3. महेश प्रसाद पुत्र स्व रामप्रसाद राजपूत निवासी गली नं01 महावीर एन्कलेव म0नं0 RZLA27 गली नं01 शिव बानी विद्यालय के पास एल ब्लाक पालम दक्षिण दिल्ली थाना डाबडी पालम दिल्ली उम्र करीब 45 वर्ष व 4. जितेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रकाश निवासी 5/12 तिवारी गली नेहरु रोड फर्रुखाबाद थाना सदर कोतवाली उम्र करीब 36 वर्ष को डीएलएफ कट शालीमार गार्डन से नोट बंदी के दौरान प्रचलन से बाहर पुरानी करैन्सी(1000 व 500 के नोट) 03 करोड़ 85 लाख रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार चारों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 318(2), 62, 61(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण बरामद सभी पुराने रुपये मतलूब अहमद निवासी रामपुर व फखरुद्दीन निवासी टांडा जिला रामपुर से लेकर आये है। जिन्होंने चारों अभियुक्तों को रुपये देकर बताया था कि गाजियाबाद में बजीराबाद रोड़ पर आप लोगों को एस. के. नामक आदमी मिलेगा जो इन रुपयों को लेकर आपको कमीशन देगा हमारा बस इतना ही काम था हम लोग मोबाइल के माध्यम से आपस में एक दूसरे से कान्टेक्ट में रहते हैं और फोन के माध्यम से ही हम लोग जनता के लोगों से सम्पर्क कर उन्हें पुरानी करेन्सी के बदले नयी करेन्सी देने का लालच देकर रुपये मंगाते हैं तथा रुपये मतलूब अहमद व फखरुद्दीन के पास इकठ्ठा कर देते है । मतलूब अहमद व फखरुद्दीन अपने सम्पर्क में रहने वाले लोगों के माध्यम से उन्हें आगे भेज देते हैं और ये पुराने नोट 25 प्रतिशत के हिसाब से नयी करेन्सी में बदल जाते हैं और हमें अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है जो भी फायदा होता है, उसको हम सब आपस में बॉट लेते हैं। आज भी हम लोग इन रुपयों को बजीराबाद रोड़ पर एस. के.व उसके 2-3

साथियों को देने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में अचानक पुलिस की चैकिंग देखकर डर गए और हमने भागने का काफी प्रयास किया लेकिन खराब रास्ते पर फंस जाने के कारण पुलिस ने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. शुभम चौधरी पुत्र श्री जयबीर सिंह निवासी ग्राम एदलपुर थाना छजलैट जिला मुरादाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।
2. अरुण पुत्र वीरसिंह कश्यप निवासी बसेडा थाना चांदपुर बिजनौर उम्र करीब 39 वर्ष।
3. महेश प्रसाद पुत्र स्व रामप्रसाद राजपूत निवासी गली नं01 महावीर एन्कलेव म0नं0 RZLA27 गली नं01 शिव बानी विद्यालय के पास एल ब्लाक पालम दक्षिण दिल्ली थाना डाबडी पालम दिल्ली उम्र करीब 45 वर्ष।
4. जितेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रकाश निवासी 5/12 तिवारी गली नेहरु रोड फर्रुखाबाद थाना सदर कोतवाली उम्र करीब 36 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- नोट बंदी के दौरान प्रचलन से बाहर पुरानी करैन्सी(1000 व 500 के नोट) 03 करोड़ 85 लाख रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना शालीमार गार्डन पर नकली करैंसी व धोखाधड़ी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।